न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 -तीन/2017 निगरानी
III/ निगरानी/ अशोकनगर/भू.रा./2017/2273

सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बालकिशन
जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम गहोरा
हाल निवासी ईसागढ़ तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर
2- अनुविभागीय अधिकारी,
उपखंड ,ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---- अनावेदकगण
3- केशवप्रसाद पुत्र दिनेशकुमार पलिया,
निवासी ईसागढ़, जिला अशोकनगर

(अनुविभागीय अधिकारी,उपखंड ईसागढ़ जिला,अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 4 अ-6/2010-11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12-7-17 के विरूद्ध निगरानी)

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

ईसागढ़ नगर में दो मंदिर क्रमशः श्री ओमकारेश्वर महादेव एंव श्री हरिहरेश्वरनर महादेव स्थित है जिनके पुजारी पद पर अनिल कुमार आफले स्टेनो टू कलेक्टर अशोकनगर पदस्थ थे। स्टेनो टू कलेक्टर मुख्यालय से 35 कि0मी0 दूर दो मंदिरों का पुजारी नियुक्त होने की शिकायत होने पर श्री अनिल आफले अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ से मिलकर प्र0क0 11 अ-6 05-06 में आदेश दिनांक 14-9-06 पारित कराया एंव स्वंय पुत्र सुयोग आफले जो माधव इंजीनियरिंग कालेतज ग्वालियर स्टूडेन्ट था (वर्तमान में इंजीनियर बैंगलोर अथवा आँध्रप्रदेश) नियुक्त पुजारी पद पर कराली। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष अपील करने पर श्री अनिल आफले कलेक्टर के स्टेनो होने एंव प्रभावित रहने से कलेक्टर अशोकनगर प्रकरण कमांक 15/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/2273

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री जी0पी0 नायक उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 4/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12/07/17 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 **कलेक्टर जिला अशोकनगर**	